हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अप्रैल, 2011

संख्या लैज० 3/2011.—दि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार ऐण्ड मुकररीदार (वे'स्-टिंग ऑव प्रॅप्राइअॅटॅरि राइटस) ऐक्ट, 2010, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 अप्रैल, 2011, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2011 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार में मालिकाना अधिकार निहित करने के लिए तथा वह भू-स्वामी जिसका मालिकाना अधिकार निर्वापित किया गया है को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए तथा अन्य पारिणामिक तथा आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा लागू होना।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4) यह अधिनियम दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार या व्यक्तियों के किसी अन्य समरूप वर्ग या प्रवर्ग जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे, को लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार के सम्बन्ध में "नियत दिन" से अभिप्राय है, जो इस अधिनियम के लागू होने के दिन को, राजस्व अभिलेख में ऐसे रूप में बीस वर्ष से अधिक से अभिलिखित हैं, तथा अन्य मामलों में जहां फिर भी अभी बीस वर्ष पूरे नहीं किए हैं, तथा ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अप्रैल, 2011

संख्या लैज० 3/2011.—दि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार ऐण्ड मुकररीदार (वे'स्-टिंग ऑव प्रॅप्राइअॅटॅरि राइटस) ऐक्ट, 2010, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 अप्रैल, 2011, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2011 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार में मालिकाना अधिकार निहित करने के लिए तथा वह भू-स्वामी जिसका मालिकाना अधिकार निर्वापित किया गया है को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए तथा अन्य पारिणामिक तथा आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा लागू होना।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4) यह अधिनियम दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार या व्यक्तियों के किसी अन्य समरूप वर्ग या प्रवर्ग जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे, को लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार के सम्बन्ध में "नियत दिन" से अभिप्राय है, जो इस अधिनियम के लागू होने के दिन को, राजस्व अभिलेख में ऐसे रूप में बीस वर्ष से अधिक से अभिलिखित हैं, तथा अन्य मामलों में जहां फिर भी अभी बीस वर्ष पूरे नहीं किए हैं, तथा ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के

प्रारंभ होने की तिथि को या उससे पूर्व दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार के रूप में अभिलिखित है, वह दिन जिसकों व्यक्ति बीस वर्ष की शर्त पूरी करता हो;

(ख) "कलक्टर" से अभिप्राय है, उस जिले का कलक्टर जिसमें भूमि, जिसके संबंध में, इस अधिनियम के अधीन दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार में ऐसे अधिकार निहित हैं, स्थित है तथा इसमें शामिल है इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी जो सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी की पदवी से नीचे का न हो;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्राय है, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) के अधीन नियुक्त किया गया आयुक्त;

(घ) "दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसे राजस्व अभिलेख में ऐसे रूप में अभिलिखित किया गया है तथा इसमें उसके पूर्वज तथा हित उत्तराधिकारी शामिल हैं;

(ङ) "वित्तायुक्त" से अभिप्राय है, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) के अधीन नियुक्त किया गया वित्तायुक्त;

(च) "भूमि" से अभिप्राय है, भूमि जो दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार द्वारा अधिकृत है तथा भू-स्वामी द्वारा सेवा देने के बदले उसको दी गई है तथा जिसमें ऐसी भूमि पर निर्माणों के स्थल तथा अन्य संरचनाएं शामिल हैं;

(छ) "भू-स्वामी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसके अधीन दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार भूमि धारण करता है तथा इसमें उसके पूर्वज तथा हित उत्तराधिकारी शामिल हैं;

(ज) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार में मालिकाना अधिकारों को निहित करना।

3. तत्समय लागू किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या विलेख में दी गई किसी बात के प्रतिकूल हुए भी, नियत दिन को या से,—

(क) भूमि के संबंध में तथा भू-स्वामी में निहित तत्समय लागू किसी विधि, रूढ़ि, प्रथा या विलेख द्वारा मान्यताप्राप्त समाश्रित हित सहित सभी अधिकार, हक तथा हित, यदि कोई हो, निर्वापित हो जाएंगे, तथा ऐसे अधिकार, हक तथा हित भू-स्वामी द्वारा सृजित, सभी ऋणभारों यदि कोई हो, से मुक्त भूमि जिसके अधिभोग में है दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार या व्यक्तियों के किसी अन्य समरूप वर्ग या प्रवर्ग, जो राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित है, में निहित हो जाएगी;

(ख) भू-स्वामी का ऐसी भूमि के संबंध में किसी किराये को एकत्र करने या सेवा को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

4. (1) धारा 3 के अधीन कोई भू-स्वामी जिसके अधिकार निर्वापित हो गए हैं, कलक्टर को नियत दिन से बारह मास के भीतर, ऐसे प्ररुप में, जो विहित किया जाए, दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार द्वारा भू-स्वामी को भुगतानयोग्य प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है :

परन्तु कलक्टर बारह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन ग्रहण कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक को पर्याप्त कारण द्वारा समय पर आवेदन दायर करने से रोका गया था।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा ऐसी जांच जो विहित की जाए, करने के बाद, दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार द्वारा भू-स्वामी को प्रति एकड़ पांच सौ रुपए की दर से भुगतानयोग्य प्रतिकर का अधिनिर्णय करेगा।

(3) यहां व्यक्ति या व्यक्तियों जो प्रतिकर के हकदार हैं के बारे में कोई विवाद है, तो वहां कलक्टर ऐसे विवाद का निर्णय करेगा तथा यदि कलक्टर निष्कर्ष निकालता है कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार हैं, तो वह ऐसे व्यक्तियों में उस राशि का विभाजन करेगा।

(4) जहां प्रतिकर किसी अवयस्क या सीमित हित रखने वाले किसी व्यक्ति को भुगतानयोग्य है, वहां कलक्टर ऐसी व्यवस्था करेगा जो अवयस्क या संबंधित व्यक्ति के हित के संबंध में न्यायसंगत हो।

(5) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार प्रतिकर एकमुश्त में भूगतान करने के दायी होंगे।

(6) यदि दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार कलक्टर द्वारा घोषित अधिनिर्णय की प्राप्ति के दो मास के भीतर प्रतिकर जमा करवाने में असफल रहते हैं, तो भूमि भू-स्वामी में निहित हो जाएगी।

(7) यदि भूमि प्रतिकर के भुगतान के समय बन्धक के अध्यधीन है, तो भूमि बन्धक या प्रभार द्वारा भारमुक्त दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार को चली जाएगी किन्तु बंधक ऋण भुगतानयोग्य प्रतिकर पर प्रभार होगा।

(8) यदि यथा उपरोक्त ऐसा प्रभार नहीं है, तो कलक्टर, किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन जो वह किसी न्यायालय से प्राप्त करता है, भू-स्वामी को प्रतिकर का भुगतान करेगा।

(9) यदि ऐसा कोई प्रभार है, तो कलक्टर, यथा उपरोक्त के अध्यधीन, इतना प्रतिकर जो बंधक ऋण के उन्मोचन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, प्रयोग में लाएगा तथा बकाया, यदि कोई हो, भू-स्वामी को भुगतान करेगा, या उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में, सिविल न्यायालय के लंबित निर्णय तक प्रतिकर रोके रखेगा।

5. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी मूल या अपील आदेश से अपील निम्नलिखित रूप में होगी, अर्थात् :— अपील।

(क) कलक्टर द्वारा किये गये किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त को; तथा

(ख) आयुक्त द्वारा किये गये किसी आदेश के विरुद्ध वित्तायुक्त को :

परन्तु जब कोई मूल आदेश प्रथम अपील पर पुष्ट किया गया है, तो आगे कोई अपील नहीं हो सकेगी।

6. अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमा की अवधि आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तिथि से, शुरु होगी तथा निम्नलिखित रूप में होगी, अर्थात् :— परिसीमा।

(क) जब अपील आयुक्त को की जाती है—साठ दिन; तथा

(ख) जब अपील वित्तायुक्त को की जाती है—नब्बे दिन।

7. (1) कलक्टर, आयुक्त या वित्तायुक्त, या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नब्बे दिन के भीतर किए गए आवेदन पर पुनर्विलोकन कर सकता है और ऐसे पुनर्विलोकन पर स्वयं द्वारा या उसके किसी पदस्थ पूर्ववर्ती द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को परिवर्तित, उलट या पुष्ट कर सकता है : पुनर्विलोकन।

परन्तु :—

(क) जब कोई आयुक्त या कलक्टर किसी ऐसे आदेश जो उसने स्वयं पारित नहीं किया है, का पुनर्विलोकन आवश्यक समझता है, तो वह पहले उस अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा जिसके सीधे नियंत्रण के अधीन वह है;

(ख) किसी आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि वह आदेश किए जाने की तिथि से नब्बे दिन के भीतर नहीं किया गया है, या जब तक आवेदक संबंधित अधिकारी को संतुष्ट नहीं करता कि उसके पास उस अवधि के भीतर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे;

(ग) कोई आदेश तब तक परिवर्तित या उलटाया नहीं जाएगा, जब तक उसके द्वारा प्रभावित पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए और आदेश के समर्थन में सुनवाई के लिए युक्तियुक्त नोटिस नहीं दे दिया गया है;

(घ) किसी ऐसे आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा।

(2) किसी पूर्ववर्ती आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार करने या पुनर्विलोकन के अनुरूप किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी।

8. (1) वित्तायुक्त किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकता है। कार्यवाहियां मंगाने, उनका परीक्षण तथा पुनरीक्षण की शक्ति।

(2) आयुक्त अपने नियंत्रणाधीन कलक्टर के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकता है।

(3) यदि किसी मामले में जिसमें आयुक्त ने कोई अभिलेख मंगाया हो और उसकी राय है कि की गई कार्यवाहियां या किया गया आदेश परिवर्तित किया जाना चाहिए या उल्टा दिया जाना चाहिए, तो वह वित्तायुक्त के आदेशों के लिए मामले पर अपनी राय सहित अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि, उपधारा (1) के अधीन उस द्वारा मांगे गए या उपधारा (3) के अधीन उसको प्रस्तुत किए गए अभिलेख के परीक्षण के बाद, वित्तायुक्त की राय है कि कार्यवाहियों या आदेश में हस्तक्षेप करना अनुचित है, तो वह तदनुसार आदेश पारित करेगा।

(5) यदि, अभिलेख के परीक्षण के बाद, वित्तायुक्त की काय है कि किसी आधार पर जिस पर उच्च न्यायालय इसकी पुनरीक्षण की अधिकारिता के प्रयोग में कार्यवाहियों या आदेश में हस्तक्षेप करना उचित है, तो वह तत्समय लागू विधि के अधीन किसी सिविल न्यायालय की कार्यवाहियों या आदेश या डिक्री में हस्तक्षेप कर सकता है, वह मामले की सुनवाई के लिए जिन नियत करेगा, तथा उस दिन या किसी पश्चात्वर्ती दिन जिसके लिए वह सुनवाई स्थगित करे या जिसको वह इस निमित्त नियत करे, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह मामले में ठीक समझे।

(6) जब वित्तायुक्त उपधारा (5) के अधीन, मामले की सुनवाई के लिए दिन नियत करता है के सिवाय, किसी भी पक्षकार को वित्तायुक्त के समक्ष सुनवाई के लिए कोई अधिकार नहीं होगा जब इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां प्रयोग कर रहा है।

कतिपय बन्धकों तथा प्रभारों का प्रवर्तनीय न होना।

9. तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा में या किसी विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी दावा या दायित्व, चाहे किसी सिविल न्यायालय या अन्यथा की किसी डिक्री या आदेश के अधीन जो किसी धन के लिए किसी भू-स्वामी के विरुद्ध प्रवर्तनीय हो, जो किसी दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार द्वारा धारण की गई किसी भूमि पर प्रभारित, या के किसी बन्धक द्वारा सुरक्षित हो, उक्त भूमि के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा।

अधिकारिता का वर्जन।

10. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, कलक्टर, आयुक्त या वित्तायुक्त द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा तथा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही या किया गया कोई भी आदेश किसी न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं की जाएगी या नहीं किया जाएगा।

विधिक कार्यवाहियों का वर्जन।

11. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, राज्य सरकार या किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

12. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्य रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंध जो असंगत न हो, ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचिन प्रतीत हों।

13. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है। नियम शक्ति

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) प्ररुप तथा रीति जिसमें भू-स्वामी द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन किया जा सकता है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन नोटिस का प्ररूप तथा रीति जिसमें नोटिसों की तामील की जा सकती है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन रीति जिसमें जांच की जा सकती है;

(घ) रीति जिसमें पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के लिए अपीलें तथा आवेदन दायर किये जा सकते हैं;

(ङ) कोई अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

विजेन्द्र सिंह मलिक,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

48564—L.R.—H.G.P., Chd.

भाग - III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जून, 2011

संख्या का० आ० 52/ह० अ० 1/2011/धा० 1/2011.— हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 (2011 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1), की धारा 1 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 9 जून, 2011 को तिथि के रूप में नियत करते हैं।

राज कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

भाग III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जून, 2011

संख्या का०आ० 54/ह०अ० 1/2011/धा० 13/2011.—हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम 1) की धारा 13 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) ये नियम हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) नियम, 2011 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम 1);

(ख) "अनुबद्ध" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुबद्ध;

(ग) "धारा" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इन्हें अधिनियम में दिये गए हैं।

मालिकाना अधिकार, निहित करने के लिए आवेदन-पत्र। धारा 3

3. (1) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार तथा उनके हित उत्तराधिकारी जिनकी इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को बीस वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है, अनुबद्ध में, मालिकाना अधिकार निहित करने के लिए इन नियमों, के प्रारंभ की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर सम्बद्ध कलक्टर को आवेदन करेगा।

(2) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार तथा उनके हित उत्तराधिकारी जिनकी इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को बीस वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई हो, मालिकाना अधिकार निहित करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर सम्बद्ध कलक्टर को आवेदन करेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि के अधिभोग में दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों से अपना अधिभोग सिद्ध करेगा।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर आवेदक की पात्रता तथा उसके मालिकाना अधिकारों को निहित करने के लिए आदेश करने की तिथि को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों से उसके लगातार अधिभोग के बारे जांच करेगा :

परन्तु दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए आदेश करने से पूर्व कलक्टर सम्बद्ध भू-स्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(5) यदि भूमि का स्वामी ग्राम पंचायत या शामलात देह है तो सुनवाई का अवसर सम्बद्ध ग्राम पंचायत को दिया जायेगा।

(6) यदि किसी प्लाट या स्थल या भवन का स्वामित्व आबादी देह में दावाकृत किया जाता है तो प्लाट या स्थल या भवन के ऊपर कब्जा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा गृह कर, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, जल प्रभार बिल या किसी अन्य सुसंगत दस्तावेज द्वारा सिद्ध करना होगा।

(7) कोई भी स्टाम्प शुल्क दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के मद्दे प्रभारित नहीं किया जायेगा।

प्रतिकर के लिए आवेदन-पत्र। धारा 4

4. (1) भू-स्वामी अनुबद्ध 2 में दिए गए प्ररूप में प्रतिकर के भुगतान के लिए सम्बद्ध कलक्टर को आवेदन करेगा।

(2) शामलात भूमि या पंचायत भूमि के संबंध में प्रतिकर सम्बद्ध ग्राम पंचायत को भुगतानयोग्य होगा।

(3) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार द्वारा भू-स्वामियों या उनके हित उत्तराधिकारियों को भुगतानयोग्य प्रतिकर के लिए पंचाट की राशि राजकोष के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

(4) प्रतिकर की राशि का भुगतान दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार से प्राप्त प्रतिकर की राशि से कलक्टर द्वारा सूचित कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अपील। धारा 5

5. (1) कलक्टर या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील व्यक्तिगत रूप में या सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से दायर की जा सकती है।

(2) अपील का ज्ञापन जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तथा स्पष्ट रूप से अपील के आधारों को सूचित करेगा।

प्रतियां प्राप्त करना। धारा 13

6. इन नियमों के अधीन प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस के भुगतान पर किया जाएगा।

अभिलेख की जांच। धारा 13

7. कोई हितबद्ध व्यक्ति मालिकाना अधिकारों को प्रदान करने से संबंधित कार्यवाहियों या नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस के भुगतान पर प्रतिकर के भुगतान के अभिलेख की जांच करेगा।

8. (1) इन नियमों के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश या जारी किया गया नोटिस रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील किया जायेगा। नोटिस की तामील। धारा 4

(2) इन नियमों के अधीन जारी किया गया नोटिस उसमें कथित अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगा तथा ऐसी अवधि सामान्यतया किसी भी मामले में पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश या नोटिस की तामील प्रभावित समझी जाएगी यदि आदेश या नोटिस उचित रूप से सम्बोधित तथा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया हो।

(4) यदि सम्यक् तत्परता द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति का पता ज्ञात नहीं किया जा सकता, आदेश या नोटिस सम्बद्ध कलक्टर के माध्यम से उसको प्रेषित किया जाएगा।

(5) यदि डाक द्वारा भेजा गया आदेश या नोटिस अपरिदत्त वापस आ जाता है या जहां कलक्टर या किसी अन्य प्राधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि यहां विश्वास करने के कारण है कि आदेश या नोटिस मामूली अनुक्रम में परिदत्त नहीं किया जा सकता, कलक्टर या कोई अन्य प्राधिकारी निदेश दे सकता है कि,—

(i) क्षेत्र में परिचालित समाचार-पत्र जिसमें सम्बद्ध व्यक्ति अंतिम रूप से निवास करता हो या कारबार कर रहा हो, में प्रकाशन द्वारा; या

(ii) सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में आदेश किया गया है या नोटिस जारी किया गया है, के सहजदृश्य स्थान पर उसकी प्रति चिपकाते हुए,

आदेश या नोटिस तामील की जाए।

9. कलक्टर स्थायी अभिलेख के लिए उचित रजिस्टर में, मालिकाना अधिकारों को प्रदान करने के सभी ऐसे आदेशों तथा प्रतिकर के भुगतान को, दर्ज करेगा। रजिस्टर। धारा 13

10. (1) अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन तथा जांच के मामले में पच्चीस रुपये की कोर्ट फीस उद्ग्रहणीय होगी। फीस। धारा 13

(2) इन नियमों के अधीन सभी आवेदन-पत्रों के साथ पाँच रुपये की कोर्ट फीस होगी।

(3) सभी फीसें, कोर्ट फीस स्टाम्प द्वारा भुगतान की जायेंगी।

अनुबद्ध 1

[देखिए नियम 3(1)]

दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार अथवा मुकररीदार से आवेदन-पत्र

सेवा में

कलक्टर

जिला.....

विषय :— गांव.....तहसील.....जिला.....में स्थित भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के मालिकाना अधिकार को प्रदान करने के लिए आवेदन।

श्रीमान्

1. गांव.....तहसील.....जिला.....में स्थित खसरा संख्या.....में समाविष्ट.....भूमि.....से दोहलीदार/बुटीमार/भोंडेदार/मुकररीदार के रूप में आवेदक (आवेदकों) के अधिभोग में है/हैं)। (इस दावे के समर्थन में राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं)।

2. आरम्भिक स्तर पर भूमि का स्वामी श्री.....सुपुत्र श्री..... निवासी गांव.....तहसील.....जिला.....था तथा अब, वर्ष.....की जमाबन्दी के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति प्रश्नगत भूमि के वर्तमान स्वामी हैं। (जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं)।

   (i) .....

   (ii) .....

3. यह कि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010, के उपबन्धों के अनुसार, मैं/हम गांव.....तहसील..... जिला.....में स्थित भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के सम्बन्ध में मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए दावा करता हूँ/करते हैं।

4. यह कि मैं/हम श्री.....सुपुत्र श्री.....के हित उत्तराधिकारी है/हैं जो आरम्भिक स्तर पर भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के दोहलीदार/बुटीमार/भोंडेदार या मुकररीदार था (इस दावे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न)।

5. यह कि मैं/हम इस सम्बन्ध में पारित किये जाने वाले आदेशों की तिथि से दो मास के भीतर सरकार द्वारा यथा नियत ₹ 500/- की दर से ऐसे मालिकाना अधिकारों के बदले में प्रतिकर का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

6. यह कि उपरोक्त भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के मालिकाना अधिकार (आवेदकों) के नाम अन्तरित किए जाएंगे।

धन्यवाद।

भवदीय,

स्थान : .....

दिनांक : .....

सभी आवेदकों के हस्ताक्षर,
नाम, माता-पिता तथा उनका पता।

अनुबद्ध 2

[देखिए नियम 4(1)]

भूमि के स्वामी (स्वामियों) से प्रतिकर के भुगतान के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में

कलक्टर.....

जिला.....

विषय :— गांव.....तहसील.....जिला.....में स्थित भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के प्रतिकर के भुगतान के लिए आवेदन।

महोदय

1. गांव.....तहसील.....जिला.....में स्थित खसरा संख्या.....में समाविष्ट.....भूमि श्री.....सुपुत्र श्री.....के दोहलीदार/बुटीमार/भोंडेदार/मुकररीदार के रूप में अधिभोग में थी।
2. आरम्भिक स्तर पर भूमि का स्वामी श्री.....सुपुत्र श्री..... निवासी गांव.....तहसील.....जिला.....तथा जो हमारा पिता/दादा/पूर्वज था तथा अब निम्नलिखित व्यक्ति वर्ष.....की जमाबन्दी के अनुसार प्रश्नगत भूमि के वर्तमान स्वामी हैं। (जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं)।

   (i) .....

   (ii) .....
3. यह कि हरियाणा दोहलीदार/बुटीमार/भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010, के उपबन्धों के अनुसार व्यक्ति कलक्टर द्वारा उसके आदेश दिनांक.....द्वारा भूमि के स्वामियों के रूप में घोषित किये गये हैं (प्रति संलग्न)।
4. इसलिए प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में हमारे को प्रतिकर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

धन्यवाद।

भवदीय,

स्थान : .....

दिनांक : .....

सभी आवेदकों के हस्ताक्षर

नाम, माता-पिता तथा उनका पता।

राज कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।